प्रेषक,

संख्या 1574 / 2005–66–2004–15 / 14

राजन शुक्ला
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक निर्माण/ पंचायती राज/ लघु सिंचाई/ ग्राम्य विकास/ राजस्व/ परिवार कल्याण/ विकलांग कल्याण/ समाज कल्याण/ महिला कल्याण/ बेसिक शिक्षा/ नियोजन/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग

लखनऊ : दिनाँक : 21 दिसम्बर, 2005

विषय :– समग्र ग्राम्य विकास योजना वर्ष 2005–06 में चयनित समग्र विकास ग्रामों में परिवर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में गॉवों के सर्वांगीण विकास हेतु 15 कार्यक्रमों से युक्त समग्र ग्राम्य विकास योजना शासनादेश संख्या 1966/66–2003, दिनाँक 9 दिसम्बर, 2003 द्वारा संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत माननीय सदस्य विधानसभा एवम् विधानपरिषद द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में 10 ग्रामों का चयन किया जाता है और चयनित ग्रामों को 15 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाता है।

2– वर्तमान में वर्ष 2003–04 तथा 2004–05 में चयनित समग्र विकास ग्रामों के संतृप्तीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये ग्रामों का चयन माननीय सदस्य विधानसभा एवम् विधानपरिषद की संस्तुति पर करने के निर्देश शासनादेश संख्या 2470/ 66–04–227/ 2004, दिनाँक 18 जनवरी, 2005 द्वारा प्रसारित करते हुये यह अपेक्षा की गयी थी कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये ग्रामों का चयन कराके चयनित गॉवों की सूची दिनाँक 15 फरवरी, 2005 तथा सकल कार्ययोजना 15 मार्च, 2005 तक उपलब्ध करायी जाय।

3– आप अवगत ही है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 को शुरू हुये नौ माह का समय व्यतीत हो चुका है और अधिकांश जनपदों से कार्ययोजनाएं तैयार होकर शासन को प्राप्त हो गयी है, परन्तु अभी भी वर्ष 2005–06 में माननीय सदस्य द्वारा संस्तुत ग्रामों के नामों में संशोधन करने हेतु पत्र प्राप्त हो रहे है। ऐसी स्थिति में संस्तुत/ चयनित ग्रामों के नामों में संशोधन/ परिवर्तन करना समीचीन नहीं होगा।

4– अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनाँक 1 अक्टूबर, 2005 तक चयनित ग्रामों में पुनः परिवर्तन पर विचार किया जाना सम्भव न होगा तथा यदि माननीय सदस्य विधानसभा एवम् विधानपरिषद परिवर्तन चाहते है तो तदनुसार उन ग्रामों को अगले वित्तीय वर्ष में समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत प्रस्तावित कर सकते हैं।

भवदीय,

R.
21.12.05
(राजन शुक्ला)
सचिव,

पृष्ठांकन संख्या 1574 (1)/-तदर्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव/ सचिव, विधानसभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त संयुक्त/ उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- विशेष सचिव/ अनुसचिव/ अनुभाग अधिकारी/ अपर निदेशक/ शाध अधिकारी अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

(राजनाथ) 21.11.2005

अनुसचिव,